कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 147/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2026
जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक में 01 प्रकरण का सफल निस्तारण

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं **पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री चिराग जैन तथा पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमती आस्था जायसवाल क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में **मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 (द्वितीय चरण)** के अंतर्गत **दिनांक 17.04.2026** को **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण** की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल **03 पत्रावलियों** में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें दोनों प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित हुए। अथक प्रयासों के उपरांत **01 प्रकरण में आपसी सुलह-समझौता** कराया गया। एक अन्य प्रकरण में पारिवारिक विवाद से संबंधित शिकायत पर विस्तृत वार्ता की गई, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप के संबंध में दोनों पक्षों को समझाइश दी गई तथा शेष प्रकरण में अग्रिम तिथि नियत कर नोटिस/दूरभाष के माध्यम से पुनः सुनवाई हेतु अवगत कराया जाएगा।

➡ नई किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक विवादों का आपसी समाधान हो सके तथा माननीय न्यायालयों पर कार्यभार में भी कमी आए।

कुल समझौते – 01

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी-

01. उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 सत्यनारायण यादव, परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़।
03. आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह,परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़।
04. आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता,परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़।
05. महिला आरक्षी नेहा सिंह,परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 17.04.2026

थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़

नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रतिवादी संदीप निषाद पुत्र रामदरश निषाद निवासी टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 96/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा विवेचना उ0नि0 रामदुलार यादव द्वारा संपादित की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

इसी क्रम में दिनांक 17.04.2026 को उ0नि0 रामदुलार यादव मय हमराह द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं जांच के दौरान फुलवरिया बाजार में मौजूद रहते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त संदीप निषाद पुत्र रामदरश निषाद निवासी टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष को फुलवरिया अंडरपास से समय लगभग 12:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. संदीप निषाद पुत्र रामदरश निषाद निवासी टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 96/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 रामदुलार यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
02. का0 विनोद कुमार यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक: 17.04.2026

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 09.03.2026 को थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त मोनू राजभर पुत्र मेवालाल निवासी गोसड़ी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। घटना के उपरांत अभियुक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 16.04.2026 को उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोनू राजभर पुत्र मेवालाल निवासी गोसड़ी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को सुरहन मोड़ पुलिया के पास से समय करीब 06:10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मोनू राजभर पुत्र मेवालाल निवासी गोसड़ी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 42/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मार्टीनगंज, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 प्रशांत पांडेय, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 बबीता गोड़, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक: 17.04.2026

साइबर क्राइम थाना, जनपद आजमगढ़

OLX पर मोबाइल खरीदने के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड में ₹3,500/- की धनराशि पीड़ित को कराई गई वापस

घटना का विवरण:-

पीड़ित श्री कृष्ण कुमार पुत्र अनिल प्रजापति निवासी ग्राम सुखमंगल नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर पुराने मोबाइल का विज्ञापन देखकर विक्रेता से संपर्क किया गया। विक्रेता द्वारा विश्वास में लेकर मोबाइल भेजने के नाम पर अग्रिम धनराशि की मांग की गई। पीड़ित द्वारा दिए गए क्यूआर कोड पर ₹3,500/- प्रेषित कर दिए गए, किन्तु इसके पश्चात न तो मोबाइल भेजा गया और न ही विक्रेता से संपर्क हो सका, बल्कि उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई।

कार्रवाई का विवरण:-

प्राप्त शिकायत के आधार पर साइबर टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से संबंधित खाते/माध्यम की जांच की गई तथा आवश्यक समन्वय स्थापित कर पीड़ित की ₹3,500/- धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

साइबर फ्रॉड का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (OLX आदि) पर आकर्षक विज्ञापन डालकर सस्ते दाम पर सामान बेचने का झांसा दिया जाता है। इसके बाद खरीदार से अग्रिम भुगतान क्यूआर कोड/UPI के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है और तत्पश्चात संपर्क समाप्त कर दिया जाता है।

बचाव के उपाय:-

- किसी भी अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन एडवांस भुगतान करने से बचें।

- OLX/अन्य प्लेटफॉर्म पर डील करते समय "डील इन पर्सन" को प्राथमिकता दें।
- क्यूआर कोड स्कैन कर पैसे भेजने से पहले पूरी तरह सत्यापन करें।
- अत्यधिक सस्ते ऑफर/लुभावने विज्ञापनों से सतर्क रहें।
- किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

पीड़ित की प्रतिक्रिया:-

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा आजमगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रजत सिंह, साइबर क्राइम थाना, जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 संजय कुमार, साइबर क्राइम थाना, जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 विकास कुमार, साइबर क्राइम थाना, जनपद आजमगढ़ ।

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि ऑनलाइन लेन-देन करते समय सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 18 अप्रैल 2026

जनपद – आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अब तक कुल 70 शस्त्र धारको के शस्त्र लाइसेंस निरस्त/निलंबित।

आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र धारको के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के संस्तुति के बाद जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय श्री रविद्र कुमार के अनुमोदनोपरांत की गयी कठोर कार्यवाही ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद में कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है।

➡ जनपद आजमगढ़ के ***शस्त्र लाइसेंस धारक के 01 शस्त्र लाइसेंस निरस्त/निलंबित किए गए*** हैं, जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। इन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हैं एवं इनके कृत्यों से लोकशांति, जनसुरक्षा व आमजन में भय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अतः इनके पास शस्त्र रहना जनहित में नहीं पाया गया। अब तक ***कुल 71 शस्त्र लाइसेन्स निलंबित/निरस्त किये जा चुके हैं ।***

➡ ***निरस्त/निलंबित शस्त्र लाइसेंस धारकों का विवरण-***

01. शंकर प्रसाद योगाचार्य पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी ग्राम भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ (शस्त्रः रिवाल्वर/पिस्टल – निरस्त)

➡ ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार का वक्तव्य:-***

जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिनके पास शस्त्र होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ।

प्रेस नोट, दिनांक- 18.04.2026

जनपद आजमगढ़

अब थाने पर हाजिरी लगायेंगे अपराधी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत अपराधियों पर की गयी सख्त कार्यवाही

जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार*** द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में ***अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़*** द्वारा अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें थाने पर नियमित हाजिरी लगाने का आदेश निर्गत किया गया है।

➡ थाना मुबारकपुर–

थाना मुबारकपुर क्षेत्र के निवासी *अवधेश चौहान पुत्र लालधर चौहान, निवासी मौजा पुसड़ा अइमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी मुबारकपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त अवधेश चौहान को आदेश की तिथि से आगामी *06 माह तक पाक्षिक उपस्थिति थाना तरवां आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी* होगी। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 555/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 654/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

*** ➡ थाना पवई –***

थाना पवई क्षेत्र के निवासी *सुरेन्द्र यादव पुत्र महेश यादव निवासी मौजा सुल्तानपुर थाना पवई, जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी मेंहनगर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त सुरेन्द्र यादव को आदेश की तिथि से *आगामी 06 माह तक पाक्षिक उपस्थिति थाना पवई आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी* होगी। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 147/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 46/2021 धारा 147/188/269/270/332/336/427/504 व 506 एवं 3 महामारी अधिनियम भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 115(2),352,351(2) व 110 बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

*** ➡ थाना मुबारकपुर–***

थाना मुबारकपुर क्षेत्र के निवासी *बबलू चौहान पुत्र स्वामीनाथ चौहान, निवासी मौजा पुसड़ा अइमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी मुबारकपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त बबलू चौहान को आदेश की तिथि से आगामी *06 माह तक पाक्षिक उपस्थिति थाना तरवां आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी* होगी। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 555/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 654/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार का वक्तव्य:-

जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिन अपराधियों से आम जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ।